न्यायालय जिला कलक्टर,झालावाड़

पीठासीन अधिकारी : अजय सिंह राठौड़, आई0ए0एस0

मि0न0 09/अपील/23 तारीख दायरा: 14.03.2023

सुरेश पुत्र बालचन्द्र जाति कलाल निवासी रटलाई
तहसील बकानी जिला झालावाड़ (अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सुनेल (रेस्पोडेन्ट)

अपील बनाराजगी न्यायालय तहसीलदार तहसील बकानी
प्रकरण संख्या 12/24 दिनांक: 06.02.2024

उपस्थित:– पेरोकार सरकार

–: निर्णय :– दिनांक: 29.05.2024

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बकानी के आदेश दिनांक 06.02.2024 जो मिसल न0 12/2024 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्ट को ग्राम रटलाई की आराजी ख0न0 795 रकबा 0.1896 हेक्टेयर किस्म चरागाह का अतिक्रमी मानकर 78/–रू0 शास्ती तथा 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। वकील अपीलान्ट ने अपने अपील मीमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया जो पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं साक्ष्य से सर्वथा विपरित एवं विधी के सिद्धातों के विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। निर्णय पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर विश्वास कर पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

जिला कलक्टर
झालावाड़

अभिभाषक अपीलान्ट दौराने बहस दौराने बहस उपस्थित नहीं होने से उनका पक्ष सुना नहीं जा सका। पेरोकार सरकार ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित किया है एवं अपीलांट ने पत्थर की कोट कर अतिक्रमण कर रखा है जिसे हटाया नहीं गया है इस कारण अपीलार्थी को किसी भी तरह की राहत दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

बहस पेराकार सरकार सुनी गई। वकील अपीलांट के दौराने बहस उपस्थित नहीं होने से उनका पक्ष सुना नहीं जा सका एवं पत्रावली को मेरिट के आधार पर वास्ते निर्णय रखा गया। पत्रावली का अवलोकन किया बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया है कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 30.01.2024 के अनुसार अतिक्रमण हटाने बाबत समय दिया गया था। समय दिये जोन के बावजूद भी प्रार्थी द्वारा कब्जा बदस्तुर किये जाने पर ही अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, जिसके अनुसार अपीलार्थी का अतिक्रमी होना साबित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न कब्जा रिपोर्ट अनुसार भी प्रार्थी द्वारा कब्जा यथावत कर अतिक्रमण नही हटाया जाना साबित है। उपरोक्त विवेचन से अपीलान्ट के इस कृत्य को संरक्षण दिया जाना हमारी राय में उचित नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहसीलदार तहसील बकानी को निर्देशित किया जाता है अपीलांट द्वारा किये कब्जे को नियमानुसार हटवाये जाने की कार्यवाही अमल में लायें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांकः 29.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.5

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर,
झालावाड़